बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 173900 / पटना, दिनांक 13/01/14

सं0स0-R.11019/203/2010-Sec-07(06)

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी (भा0प्र0से0),

आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

जमुई (बिहार) ।

विषय:- **SBI,RSETI को जमुई जिले में उपलब्ध कराई गई भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 157710 दिनांक- 29.07.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे जमुई जिला में RSETI की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि पर विभिन्न विभागों द्वारा अतिक्रमण कर कराये जा रहे निर्माण कार्य की जाँच कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई अपने स्तर से करने का अनुरोध किया गया था । तथा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया था । जो सम्प्रति अबतक अप्राप्त है ।

उक्त भूमि पर RSETI की स्थापना हेतु भवन बनाया जाना है । SLBC के द्वारा सूचित किया गया है कि अभी भी उक्त भूमि पर निर्माण कार्य जारी है । वही SBI,RSETI भवन निर्माण हेतु दिनांक- 17.01.2014 को भूमि पूजन कार्यक्रम तय किया है । अत: आपसे अनुरोध है कि एक सप्ताह के अंदर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करते हुए विभाग को SBI,RSETI को भूमि उपलब्ध करा दिये जाने संबंधी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

10/1/14

(अरविन्द कुमार चौधरी)

आयुक्त, स्वरोजगार ।

ज्ञापांक 173900 / पटना, दिनांक 13/01/14

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, जमुई/ सहायक, मैनेजर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पाँचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना को उनके पत्र संख्या- SLBC/AMS/154,दिनांक-05 जून, 2013 के आलोक मेंसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/1/14

आयुक्त, स्वरोजगार ।

Letter No-263 (Arvind General Letter D Drive)